



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/ATY-3592/MH/61/2026-RU-I

दिनांक: 06.04.2026

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-अमरावती,
कलेक्टर कार्यालय,
कैम्प, अमरावती-444602, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.amravati@maharashtra.gov.in

विषय: ग्राम तलाई रेलवे, तहसील धारणी, जिला अमरावती (मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प) के पुनर्वासित आदिवासी परिवारों को घर की जगह (ग्राम नमूना 08-अ के आधार पर) मुआवजा एवं पुनर्वास लाभ से वंचित किए जाने के संबंध में दिनांक 20.01.2026 को श्री चम्पालाल सुखराम गवते एवं अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.02.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

दुंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

6.4.26

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री चम्पालाल सुखराम गवते,
गांव तलाई, तहसील-तेशारा,
जिला-अकोला, महाराष्ट्र-444301,
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।